

**बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना**

संख्या-3/विविध-01-69/2026/स्वा0, ..... पटना, दिनांक: /2026

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय पत्रांक-1161/स्थापना दिनांक-26.08.2026 द्वारा डा0 विजय कुमार, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अनधिकृत रूप से सील्ड सत्यम इमरजेंसी हॉस्पिटल को खुलवाने के लिए राशि लेने से संबंधित आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

2. इसके अतिरिक्त निजी नर्सिंग होम की जाँच और लाइसेंस के नाम पर अवैध राशि के लेन-देन से संबंधित वायरल वीडियो की जाँच हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह स्पष्ट पाया गया है कि डा0 विजय कुमार का आचरण प्रथम दृष्टया भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है तथा यह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 (यथासंशोधित) में अंकित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

3. साथ ही यह भी आरोप प्रतिवेदित है कि गलत इरादा से पूर्व से निदेशित सत्यम इमरजेंसी हॉस्पिटल के सील करने के निर्देश से इतर संचिका खोल कर उक्त अस्पताल को संचालन/खोलने का आदेश दिया गया।

4. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा डा0 कुमार के विरुद्ध आलोच्य प्रतिवेदित आरोप अत्यधिक गंभीर है। फलतः उपलब्ध साक्ष्यों एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 विजय कुमार, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में डा0 कुमार का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि में डा0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए संकल्प अलग से आरोप प्रशाखा से निर्गत किया जाएगा।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

-सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:

838(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 18 / 9 /2026

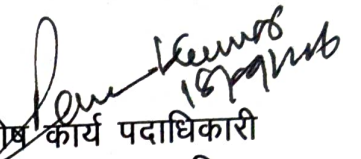
प्रतिलिपि:

महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य-चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: डा० विजय कुमार, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: अवर सचिव, प्रशाखा-9/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 09ए, 09बी तथा 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: श्री अमित कुमार, डाटा एनॉलिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

838(3)  
18/9/26

  
विशेष कार्य पदाधिकारी  
-सह-संयुक्त सचिव